>

Title: Need to give the status of Municipal Corporation to all the Cantonment Boards for development of the Cantonment areas in the country.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के द्वारा दिनांक 4 जून, 2010 को देश के सभी केंटोनमेंट बोर्ड्स को मानद नगरपरिषद्, डीम्ड म्युनिसिपैलिटी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया और राज्यों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किये गये। इस निर्णय से केंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाली गरीब जनता को केन्द्र एवं राज्यों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इस पर उचित कार्रवाई नहीं होने से आज भी केंटोनमेंट में जनता विकास कार्यों से वंचित है। राज्य सरकार से उक्त निर्णय पर उचित कार्रवाई तुरन्त हो, यह सुनिश्चित किया जाये और साथ ही केंटोनमेंट बोर्ड को भी इस निर्णय पर कार्रवाई करने हेतु दिशा-निर्देश भेजने की आवश्यकता है।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ, तब से इन केंटोनमेंट बोर्ड्स में छोटे-छोटे गांवों में सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स थीं, उसमें एक परिवार रहता था, उनके दो बच्चे थे। अभी दो बच्चों के 10 बच्चे हो गये, घर गिरने को आ गये, लेकिन घर गिरने के बाद भी उनको एफ.एस.आई. नहीं मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से केंटोनमेंट में रहने वाले न दलित को लाभ मिलता है, न इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिलता है, न संजय गांधी निर्माण योजना का लाभ मिलता है। इन केंटोनमेंट बोर्ड्स में जितनी भी केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं होता है, इसलिए तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस प्रकार की मेरी मांग है।

सभापति महोदय :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल और

प्रो. रामशंकर को श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।